HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 35— HLA OF 2022

THE HARYANA MINOR CANALS (REPEAL) BILL, 2022

A

BILL

to repeal the Haryana Minor Canals Act, 1905.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Minor Canals (Repeal) Act, 2022. Short title.

2. The Haryana Minor Canals Act, 1905, is hereby repealed. Repeal of Punjab Act 3 of 1905.

3. The repeal by this Act shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; Savings.

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from the Act hereby repealed;

nor shall the repeal of the Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Repeal of enactments under the Punjab Minor Canals Act 1905 specified in the Schedule which have been ceased to be in force or have become obsolete or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, then, such enactment is to be repealed. The enactment in reality has lost its meaning but is still shown on the Statute-books. The law has become irrelevant and dysfunctional.

The Punjab Minor Canals Act, 1905, at present does not apply in any part of Haryana. The act was introduced only for West Punjab (Now Part of Pakistan) under which all the powers vests with Collector. However, all these powers under Haryana Canal and Drainage Act, 1974 vests with the Officers of the Canal Department (mostly with Canal Officer/Divisional Canal Officer).

The Haryana Statute Review Committee under the Chairmanship of Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) constituted by State Government submitted its report, in which, it has been recommended to repeal various Act. This Act also figures in that list.

Hence the proposed, The Haryana Minor Canals (Repeal) Bill, 2022.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 23rd December, 2022.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 23rd December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

10077—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या–35 एच०एल०ए०

हरियाणा लघु नहर (निरसन) विधेयक, 2022

हरियाणा लघु नहर अधिनियम, 1905 को निरसित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा लघु नहर (निरसन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा लघु नहर अधिनियम, 1905, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1905 के पंजाब अधिनियम 3 का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई है; व्यावृत्ति।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

और न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि वे क्रमशः इसके द्वारा निरसित अधिनियम द्वारा, उसके या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट किए गए हों या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुए हों;

और न ही किसी अधिनियमिति के अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा, जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब माइनर कैनाल अधिनियम, 1905 के अधीन अधिनियमितियों का निरसन जो लागू नहीं रह गई है या अप्रचलित हो गई है या पृथक, स्वतन्त्र तथा सुभिन्न अधिनियमों के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, तो, ऐसी अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है। अधिनियमितियों ने वास्तविकता में अपना आशय खो दिया है किन्तु संविधि–संग्रह में अभी तक दर्शाई गई हैं। विधियां असंगत तथा दुष्क्रियात्मक हो गई हैं।

पंजाब माइनर कैनाल अधिनियम, 1905, इस समय, हरियाणा के किसी भाग में लागू नहीं है। अधिनियम केवल पश्चिम पंजाब (अब पाकिस्तान का भाग) के लिए लागू किया गया था जिसके अधीन सभी शक्तियां कलक्टर में निहित है। तथापि, हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 के अधीन ये सभी शक्तियां नहर विभाग के अधिकारियों (अधिकांश रूप में नहर अधिकारी / मण्डलीय नहर अधिकारी में) में निहित है।

राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति श्रीमान ईकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अधीन हरियाणा कानून समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें समिति ने विभिन्न अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है। यह अधिनियम भी उस सूची में शामिल हैं।

अतः, प्रस्तावित, हरियाणा माइनर कैनाल (निरसन) विधेयक, 2022 ।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

10077—H.V.S.—H.G.P., Pkl.